Defining "a common standard of achievement for all peoples and all nations", the Universal Decalaration includes a preamble and thirty articles establishing fundamental human rights—civil, political, social Economic and cultural Which should be enjoyed by humanity.

Today, we remember the concepts of universality and indivisibility of fundamental rights. Human rights are still at times violated and enlightened public opinion condemns all such acts of violation. The 50th Anniversary of the Universal Declaration of Human Right is therefore, an excellent opportunity remember the ideals contained in it and to reflect on them and their application in contemporary human society.

India has particular reason to be proud of its association with the drafting of the Universal Declaration of Human Right. We recall with pride the contribution of a members of the Constituent Assembly of India, Dr. Hansa Mehta, in the Drafting Committee of the Universal Declaration of Human Rights.

From time immemorial, our society has placed the highest value on rights of the individual as evidenced in Indian scriptures. and classics. Respect for human dignity and fundamental rights is deeply embedded in our constitution. Our legislative measures, institutional mechanisms, administrative actions and judicial pronouncements over the last fifty years have reinforced our commitment to the protection and promotion of human rights.

On this occasion, we rededicate our selves to our commitment to these deals and principles.

[The Deputy Chairman in the Chiar] PAPERS LAID ON THE TABLE

I. Report and Accounts (1997-98) of the Semiconductor Complex Limited, S.A.S Nagar, Punjab and related papers. II. Report and Accounts (1997-98) of the Central Civil Service Cultural and Sports Board, New Delhi and related papers.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING REVENUE & INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHA-NAN): Madam I lay on the Table:—

- I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of section 619A of of the Companies Act. 1956:—
- (i) (a) Twentieth Annual Report and Accounts of the Semiconductor Complex Limited, S.A.S. Nagar, Punjab, for the year 1997-98, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. See No. LT-1734/98]

- II. A copy each (In English and Hindi) of the Followings papers:—
- (i) Annual Report and Accounts of the Central Civil Services Cultural and Sports Board, New Delhi, for the year 1997-98, together with the Auditors' Report on the Accounts.
- (ii) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. See No LT. 1733/98]Report and Accounts (1997-98) of the Indian Institute of Mass Communication, New Delhi and related Papers.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): महोदया मैं निम्नलिखित पत्रों में एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी) सभा पटल पर रखता हूं:-

(क) 1997-98 के वर्ष के लिए इंडिशन इस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन नई दिल्ली कका वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित। [10 DEC. 199S]

on Industry

(क) उपर्युक्त इंस्ट्रीट्यूट के कार्यकरण की सरकार द्धारा समीक्षा। (पुस्तकालय में खी गई। देखिए सं0 एल0टी0 1725/98)

- I. Notifications of the Ministry of Communications.
- II.Profit and Loss Account (1996-97) and Balance sheet of the Department of Telecommunications.

संचार मंत्री में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ): महोदया मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं:-

(i)भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (58) के अधीन भारतीय बेतार टेलीग्राफी (वाणिज्यिक रेडिये आपरेटर प्रवीणता प्रमाण पत्र और विश्व समुद्री-विपत्ति तथा सरक्षा प्रणाली प्रचसलन अनुज्ञप्ति) नियम, 1997 को प्रकाशित करने वाली संचार मंत्रालय की अधिसूचना सा०का०नि० 133, दिनांक 6 जुलाई 1996 की एक प्रति। (पुस्तकालय में रखी गई। देखिए सं०एल०टी० 1726/98)

(ii)भारतीय डाक घर अधिनियम, 1998 की धारा 7 कें अधीन 31 अगस्त, 1998 से प्रभावी कुछ डाक सेवाओं की दरों में संशोधन से संबंधित भारतीय डाकघर (चौथा संशोधन) नियम 1998 को प्रकाशित करने वाली संचार मंत्रालय ककी अधिसूचना सा0का0नि0 503 (अ) दिनांक 19 अगस्त, 1998 की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए सं0 एल0टी0] 1727/98

II. दूर संचार विभाग के वर्ष 1996-97 के लाभ और हानि सम्बन्धी लेखे और 31 मार्च, 1997 तक काक तुलन पत्र । (पुस्तकालय में रखी गई। देखिए सं0एल0टी0 1728/98)

- I. Notification of the Ministry of Agriculture.
- II. Memorandum of understanding between Govt, of India and Water and Power Consultancy Services (India) Limited.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : महोदय, निम्नलिनखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-I.आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा -3 की उपधारा (6) के अधीन कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूनाओं की एक –एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) –

- (i)अधिसूचना संख्यांक का०आ० 759 (अ) दिनांकक 5.11.97 की वैद्याता और छह महीने के लिए बढ़ाने वाली का०आ० 946 (अ) दिनांक 2 नवम्बर, 1998।
- (ii) वर्ष 1998-99 के दौरान जर्मनी के साथ किए गए सुगम ऋण सहायता करार के अधीन वहां ससे आयात किए जाने वाले पोटाशियन क्लोराइड (पोटाश का म्यूरेट) के लिए विनिदेंश के नियतन को प्रकाशित करने वाला का0आ0 947 (अ) दिनांक 2 नवम्बर, 1998
- (iii) छोटे थैलों में उर्वरक की बिक्री पर अतिरिक्त कीमत प्रभावित करने के लिए अधिसूचना का0आ0 508 (अ) दिनांक 13 जून, 1996 में किए गए संशोधनों को प्रकाशित करने वाली का0आ0 963 (अ) दिनांक 10 नवम्बर, 1998।

[पुस्तकालय में रखी गई। (i) से (iii) के लिए देखिए सं0 एल0 टी0 -1730 / 98]

II. वर्ष 1997-98 के लिए भारत सरकार (जल संसाधन मंत्रालय) और वाअर-एण्ड पावर कन्सलटेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के बीच हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति 6 अंग्रेजी तथा हिन्दी में।

> [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० -1990/ 98]

REPORTS OF THE DEPARTMENT RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMIT!'EE ON INDUSTRY

श्री राघवजी (मध्य प्रदेश) : महोदया, मैं विभाग संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) प्रस्तुत करता हूं:-

(i) सिमिति के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिककरण और पूंजी वस्तु क्षेत्र की स्थिति संबंधी 17 वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशें / समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सिमिति का छब्बीसवां प्रतिवेदेन: